कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मंजिल, भोपाल

कमांक 319 /आउशि/निका/शाखा–1/08, भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2008

प्रति

समस्त अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय
मध्यप्रदेश ।

विषयः– रैगिंग की घटनाओं को रोकने के संबंध में ।

आपको अवगत होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् गत वर्ष से राज्य शासन ने रैगिंग के प्रति "जिरो टालरेन्स पालिसी" बनाई है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक शिक्षण संस्था में एन्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया जाना है । यह प्रोफेसर लगातार कालेज में घूम–घूमकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं परिचय के नाम पर नव प्रवेशित विद्यार्थियों की रैगिग तो नहीं ली जा रही है ।

2. प्रत्येक शिक्षण संस्था में एक बोर्ड लगाया जायेगा जिसमें एन्टी रैगिग सदस्यों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर दर्शाये जायेंगे तथा साथ में यह भी दर्शाया जायेगा कि यदि किसी छात्र के व्दारा रैगिंग करने का प्रयास किया जाता है तो तत्काल उसकी सूचना एण्टी रैगिंग समिति को दी जाय ।

3. रैगिंग की सूचना मिलते ही शिक्षण संस्था के प्रमुख (विश्वविद्यालय के प्रकरणों में कुलपति तथा महाविद्यालयों के प्रकरणों में प्राचार्य) तुरन्त इस घटना की जॉच करेंगे और साथ ही पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे । यह संस्था का उत्तरदायित्व होगा । बाद में रैगिंग को परिचय के नाम पर छुपाने का प्रयास नहीं किया जायेगा ।

4. पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर एक संघीय अपराध दर्ज किया जायेगा (जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं) एवं इसकी विवेचना कर दोषी पाये गये छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं उन्हें तत्काल महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से उस वर्ष के लिए बाहर कर दिया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें क्योकि उच्च शिक्षा विभाग इसके अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक शिक्षण संस्था से रैगिंग हटाने के लिए कृत संकल्प है ।

गत वर्ष कई प्रकरणों में यह देखा गया था कि घटना के पश्चात् प्राचार्य ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराई थी । यदि इस वर्ष संस्था में यह स्थिति पाई जाती है तो संबंधित प्राचार्य को भी अपराध छुपानें के अपराध में दोषी मानकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी ।

इन सब उपायों का उद्देश्य समाज में चल रही कुत्सित एवं घृणित परम्परा को बन्द करना है । यदि रैगिग की घटना होने पर सिध्द पाई गई तो उस महाविद्यालय की सम्बध्दता भी समाप्त की जायेगी । इसलिए इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– भारत सरकार, मानव संसाधन
विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्र ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमाक 320/आउशि/शाखा–1./08 भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2008
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, भोपाल ।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्रीजी, उच्च शिक्षा भोपाल ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त, उच्च शिक्षा,म.प्र.